माननीय न्यायमूर्ति परमजीत सिंह के समक्ष

बिश्वेदारन शामलत पथटेक चंद,

टेकली और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

चंदर बिजान और अन्य- उत्तरदाता

2006 की सीआर संख्या 4326

जुलाई 31,2013

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 9 नियम, 13 - आदेश I नियम 8 - याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पारित पूर्व पक्षीय निर्णय और डिक्री - आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज - अपील भी खारिज - पुनरीक्षण दायर - याचिकाकर्ता मालिकाना निकाय के सदस्य - आदेश 1 नियम 8 के तहत अनुमति ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई थी - क्षेत्र, आदेश I नियम 8 (2) के तहत सीपीसी व्यक्तिगत नोटिस दिया जाना आवश्यक है - आदेश 1 नियम 8 (5) के तहत अदालत किसी व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकती है जो मुकदमा नहीं कर रहा है या लगन से बचाव नहीं कर रहा है - सार्वजनिक विज्ञापन आवश्यक है - उद्देश्य बड़ी संख्या में इच्छुक व्यक्तियों को जागरूक करना है - आदेश का अनुपालन न करना 1 नियम 8 सीपीसी - निर्णय और डिक्री को अलग रखा गया।

अभिनिर्धारित किया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि जब सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के तहत अनुमति 25.02.1991 को दी गई थी, तो न्यायालय को सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (2) के मद्देनजर व्यक्तिगत नोटिस देने की भी आवश्यकता है। यह उल्लेख करना उचित है कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (5) में यह प्रावधान है कि जहां ऐसे किसी भी मुकदमे में मुकदमा करने या बचाव करने वाला कोई व्यक्ति वाद या बचाव में उचित परिश्रम के साथ आगे नहीं बढ़ता है, तो न्यायालय उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है जिसका वाद में समान हित है।

(पैरा 8)

आगे अभिनिर्धारित किया कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (2) के अनुसार, सार्वजनिक विज्ञापन आवश्यक है। अब, यह देखा जाना चाहिए कि क्या वर्तमान मामले में, न्यायालय द्वारा पत्र और भावना में उचित सार्वजनिक विज्ञापन दिया गया था। इस मामले में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील यह दिखाने में विफल रहे हैं कि नोटिस क्षेत्र में प्रसारित किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था या सार्वजनिक नोटिस गांव के उन विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया गया था जहां कथित घोषणा की गई थी। सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (2) के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि इस तरह की आसानी से उचित सार्वजनिक विज्ञापन की आवश्यकता है। 'संहिता के आदेश 1 नियम 8 (2) का उद्देश्य बड़ी संख्या में व्यक्तियों को जागरूक करना है, जो रुचि रखते हैं, उपस्थित हो सकते हैं और

अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इस आसानी से, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मुकदमे में प्रतिवादी मुकदमे का ठीक से बचाव करने के लिए प्रकट नहीं हुए थे और पूर्व पक्षीय डिक्री पारित की गई थी, जिसका अर्थ है कि मुकदमे का बचाव करने के लिए कोई भी नहीं था। सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (5) के अनुसार, जहां प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा चलाने या बचाव करने वाला कोई व्यक्ति उचित परिश्रम के साथ आगे नहीं बढ़ता है, तो न्यायालय वाद में समान हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है, क्योंकि ऐसा डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी हो जाता है, जिन्हें पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है। जब कोई भी मुकदमे का बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तो अदालत को उस व्यक्ति को प्रतिस्थापित करना चाहिए था। इस मामले में, न्यायालय भी इस पहलू पर गौर करने में विफल रहा क्योंकि यह सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (5) के तहत निर्धारित शर्तों में से एक है।

(पैरा 9)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 का पूर्ण गैर-अनुपालन है, विशेष रूप से उप-नियम (2) और (5)। इस प्रकार, एकपक्षीय निर्णय और डिक्री सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

(पैरा 13)

हिमांशु अग्रवाल, अधिवक्ता, श्री सी.बी.गोयल के लिए, याचिकाकर्ताओं के वकील।

अमित जैन, प्रतिवादियों के वकील।

परमजीत सिंह, जे.

(1) विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), गुड़गांव द्वारा पारित दिनांक 01.03.2002 (अनुलग्नक पी-2) के आदेश को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत तत्काल पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "सीपीसी") के आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है और आदेश दिनांक 06.03.2006 (अनुलग्नक पी -3) जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.03.2002 के आदेश के खिलाफ दायर अपील भी खारिज कर दी गई है खारिज कर दिया गया।

(2) अनावश्यक विवरणों से हटकर, वर्तमान याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्यों से यह कहा गया है कि "चंदर भान और अन्य बनाम बिस्वदरन शामलात पट्टी 'लीक ("हाथ और अन्य" शीर्षक से एक सिविल सूट लीमेड सब जज, गुड़गांव की अदालत में दायर किया गया था जिसके द्वारा पूर्व पक्षीय निर्णय और डिक्री दिनांक 09.05.1994 पारित की गई थी। उक्त डिक्री याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आई, जो उक्त पट्टी के मालिक थे और उन्होंने 24.10.1994 को सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत पूर्व पक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को दिनांक 01.03.2002 के आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और

याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को भी दिनांक 06.03.2006 के आक्षेपित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। इसलिए यह पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

(3) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(4) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि दिनांक 09.05.1994 का एकपक्षीय निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी करके, भौतिक तथ्यों को छिपाकर और याचिकाकर्ताओं पर सेवा को प्रभावित किए बिना प्राप्त की गई है और इस तरह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पट्टी टेक चंद के मालिकाना निकाय के सदस्य हैं। न तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से परोसा गया और न ही उन्हें वाद की प्रति प्रदान की गई। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को सर्कल पटवारी से दिनांक 09.05.1994 के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री के बारे में आवेदन दाखिल करने से तीन दिन पहले पता चला था, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत काम के संबंध में उनसे मिलने गए थे। 'विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि इससे पहले भी, गीसा राम ने 1972 का सिविल सूट नंबर 209 'गीसा राम बनाम मनोहर लाल और अन्य' दायर किया था, जिसमें 27.06.1972 को शमीलत पट्टी के मालिकों पर सेवा को प्रभावित किए बिना एक डिक्री प्राप्त की गई थी। उक्त डिक्री दिनांक 27.06.1972 को 'मैं लार चंद आदि' नामक सिविल सूट में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 03.12.1974 के तहत पट्टी टेक चंद बनाम गीसा राम आदि के मालिक के रूप में रद्द कर दिया गया था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि फिर से उन्हीं व्यक्तियों ने फर्जी मुनादी (उद्घोषणा) रिपोर्ट प्राप्त करके और पट्टी टेक चंद के मालिकों पर कोई सेवा प्रभावित किए बिना दिनांक 09.05.1994 को पूर्व पक्षीय डिक्री प्राप्त की थी। न तो कोई सार्वजनिक नोटिस/विज्ञापन दिया गया था, न ही प्रकाशन गांव के विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया गया था ताकि गांव के निवासियों को प्रश्न में वाद के बारे में पता चल सके जिसमें दिनांक 09.05.1994 को एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की गई थी। वकील ने आगे तर्क दिया है कि इससे पहले तारा चंद और अन्य द्वारा पट्टा टेक चंद बनाम घीसा कानी और अन्य के मालिक के रूप में तारा चंद आदि शीर्षक से दायर मुकदमा दिनांक 27.06.1972 की डिक्री को रद्द करने के लिए 03.12.1974 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से डिक्री की गई थी। दिनांक 03.12.1974 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया और नियमित द्वितीय अपील का भी यही हश्र हुआ। "विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि पट्टी लेक चंद के मालिकाना निकाय के सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ताओं का 20 एचएएलएस में से 18 एचएएलएस (हल) के रूप में प्रमुख हिस्सा है और वे मालिकाना निकाय की भूमि के सह-हिस्सेदार के रूप में कब्जे में हैं। कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया गया है, क्योंकि सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 का अनुपालन नहीं किया गया है। दिनांक 09.05.1994 का एकपक्षीय निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी का परिणाम है और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

(5) इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि नीचे की दोनों अदालतों ने स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि पट्टी टेक चंद के मालिकाना निकाय के सदस्यों पर सेवा विधिवत रूप से प्रभावित हुई थी और उन्हें विधिवत

रूप से मुनादी (उद्घोषणा) के माध्यम से सेवा दी गई थी जो प्रक्रिया-सर्वर के माध्यम से प्रभावित हुई थी, जो आरडब्ल्यू 1 के रूप में दिखाई दिए और मुनादी (उद्घोषणा) रिपोर्ट एक्स.आर. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि 250 मालिकों में से केवल चार ने एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए अदालत से संपर्क किया। "विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के तहत अनुमति 25.02.1991 को दी गई थी। नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रद्द नहीं किया जा सकता है।

(6) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

(7) इससे पहले कि 1 पार्टियों के लिए अर्जित वकील के तर्कों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 पर चर्चा करना उचित होगा जो निम्नानुसार है:

"आदेश 1: कौन वादी के रूप में शामिल हो सकता है सभी व्यक्तियों को वादी के रूप में एक वाद में शामिल किया जा सकता है जहां-

(क) एक ही कार्य या लेनदेन या कृत्यों या लेनदेन की श्रृंखला के संबंध में या उत्पन्न होने वाली राहत का कोई अधिकार ऐसे व्यक्तियों में मौजूद होने का आरोप लगाया जाता है, चाहे संयुक्त रूप से, अलग-अलग या विकल्प में; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति अलग-अलग वाद लाते हैं, तो कानून या तथ्य का कोई सामान्य प्रश्न उठेगा,

2. एक्स

3. एक्स

4. एक्स

5. एक्स

6. एक्स

7. एक्स

8. एक व्यक्ति समान हित में सभी की ओर से मुकदमा या बचाव कर सकता है। (1) जहाँ एक वाद में समान हित रखने वाले असंख्य व्यक्ति हों, -

(क) ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक, न्यायालय की अनुमति से, मुकदमा कर सकते हैं या मुकदमा चलाया जा सकता है, या इस तरह के मुकदमे का बचाव कर सकते हैं, या सभी इच्छुक व्यक्तियों की ओर से, या उनके लाभ के लिए;

(ख) न्यायालय निर्देश दे सकता है कि ऐसे एक या अधिक व्यक्ति मुकदमा कर सकते हैं या मुकदमा चलाया जा सकता है, या इस तरह के मुकदमे का बचाव कर सकता है, या सभी इच्छुक व्यक्तियों की ओर से या उनके लाभ के लिए कर सकता है।

(2) न्यायालय, हर आसानी में, जहां उप-नियम (1) के तहत एक अनुमति या निर्देश दिया जाता है, वादी खर्च पर, सभी व्यक्तियों को इस प्रकार रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को वाद की संस्था की सूचना देगा, या तो, व्यक्तिगत सेवा द्वारा, या, जहां, व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण के कारण, ऐसी सेवा उचित रूप से साध्य नहीं है, सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा, जैसा कि प्रत्येक आसानी में न्यायालय निर्देशित कर सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसकी ओर से, या जिसके लाभ के लिए, उप-नियम (1) के तहत एक मुकदमा संस्थित या बचाव किया गया है, ऐसे मुकदमे के लिए एक पक्ष बनाए जाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकता है।

(4) ऐसे किसी भी वाद में दावे का कोई भाग उप-नियम (1) के अधीन परित्यक्त नहीं किया जाएगा और ऐसा कोई वाद आदेश XXIII के नियम 1 के उपनियम (3) के अधीन वापस नहीं लिया जाएगा और उस आदेश के नियम 3 के अधीन ऐसे किसी वाद में कोई करार, समझौता या संतुष्टि अभिलिखित नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय ने वादी के व्यय पर न दिया हो, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचना।

(5) जहां ऐसे किसी वाद में मुकदमा या बचाव करने वाला कोई व्यक्ति वाद या परिवाद में सम्यक तत्परता से कार्यवाही नहीं करता है वहां न्यायालय उसके स्थान पर वाद में समान हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकेगा।

(6) इस नियम के अधीन किसी वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी होगी जिनकी ओर से या जिनके हित में वाद संस्थित किया गया है या बचाव किया गया है, जैसा कि आसानी से हो सकता है।

स्पष्टीकरण यह जांचने के प्रयोजन के लिए कि क्या जो व्यक्ति मुकदमा करते हैं या मुकदमा दायर करते हैं, या बचाव करते हैं, एक वाद में समान हित रखते हैं, यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों के पास कार्रवाई का वही कारण है जो उन व्यक्तियों की ओर से, या जिनके लाभ के लिए, वे मुकदमा करते हैं या मुकदमा करते हैं, या मुकदमे का बचाव करते हैं, जितनी आसानी हो सकती है।

(8) उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि जब सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के तहत अनुमति 25.02.1991 को दी गई थी, तो न्यायालय को सीपीसी के आदेश I नियम 8 (2) के मद्देनजर व्यक्तिगत नोटिस देने की भी आवश्यकता है। यह उल्लेख करना उचित है कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (5) में यह प्रावधान है कि जहां ऐसे किसी भी मुकदमे में मुकदमा करने या बचाव करने वाला कोई व्यक्ति वाद या बचाव में उचित परिश्रम के साथ आगे नहीं बढ़ता है, तो न्यायालय उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है जिसका वाद में समान हित है।

(9) सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (2) के अनुसार, सार्वजनिक विज्ञापन आवश्यक है। अब, यह देखा जाना चाहिए कि क्या वर्तमान सरलता से, न्यायालय द्वारा पत्र और भावना में उचित सार्वजनिक विज्ञापन दिया गया था। इस आसानी में, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील यह दिखाने में विफल रहे हैं कि क्षेत्र में प्रसारित किसी भी समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित किया गया था या सार्वजनिक नोटिस गांव में उन विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया गया था जहां थ्कॉलसीजीसीडी उद्घोषणा की गई थी। सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (2) के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि इस तरह की आसानी से उचित सार्वजनिक विज्ञापन की आवश्यकता है। संहिता के आदेश 1 नियम 8 (2) का उद्देश्य बड़ी संख्या में इच्छुक व्यक्तियों को जागरूक करना है, जो उपस्थित हो सकते हैं और अपने अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इस आसानी से, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मुकदमे में प्रतिवादी मुकदमे का ठीक से बचाव करने के लिए प्रकट नहीं हुए थे और पूर्व पक्षीय डिक्री पारित की गई थी, जिसका अर्थ है कि मुकदमे का बचाव करने के लिए कोई भी नहीं था। सीपीसी के आदेश । नियम 8 (5) के अनुसार, जहां प्रतिनिधि क्षमता में मुकदमा चलाने या बचाव करने वाला कोई व्यक्ति उचित परिश्रम के साथ आगे नहीं बढ़ता है, तो न्यायालय वाद में समान हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित कर सकता है, क्योंकि ऐसा डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी हो जाता है, जिन्हें पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है। जब कोई भी मुकदमे का बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, तो अदालत को उस व्यक्ति को प्रतिस्थापित करना चाहिए था। इस मामले में, न्यायालय भी इस पहलू पर गौर करने में विफल रहा क्योंकि यह सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (5) के तहत निर्धारित शर्तों में से एक है।

(10) यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मुनादी (उद्घोषणा) कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं की गई है और दिनांक 12.06.1991 के एकपक्षीय आदेश को केवल इसी आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है। दिनांक 01.03.2002 (अनुलग्नक पी-2) के आदेश से पता चलता है कि 16.04.1991 को, अहलमद द्वारा मुनादी (उद्घोषणा) नोटिस जारी नहीं किया गया था और आसानी को 12.06.1991 तक स्थगित कर दिया गया था। 12.06.1991 को, मुनादी (उद्घोषणा) को प्रभावित नहीं किया गया था और इसे फिर से 14.08.1991 के लिए जारी करने का आदेश दिया गया था, लेकिन फाइल को फिर से लिया गया क्योंकि मुनादी नोटिस विधिवत रूप से वापस प्राप्त किया गया था और प्रतिवादी नंबर 1 से 4 को 12.06.1991 को 3.20 बजे पूर्व फलक के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। यह कल्पना से परे है कि 12.06.1991 को प्रतिवादी नंबर 1 से 4 के खिलाफ कैसे कार्यवाही की गई, जबकि आसानी पहले ही 14.08.1991 के लिए स्थगित कर दी गई थी। यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि पर्याप्त मुनादी (उद्घोषणा) प्रभावित नहीं हुई थी। कम से कम, ट्रायल कोर्ट को 14.08.1991 को प्रतिवादी नंबर 1 से 4 की उपस्थिति के लिए विलाप करना चाहिए था, जिसके लिए आसानी को स्थगित कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि प्रासंगिक समय पर यानी 12.06.1991। हरियाणा में अधीनस्थ न्यायालयों में काम के घंटे सुबह 7.30 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक शुरू हुए, इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ कार्यवाही का सवाल ही नहीं उठता। तथापि, मैं इस पहलू पर विचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तथ्य का न्यायिक नोटिस भी लिया जा सकता है।

(11) उपरोक्त निष्कर्ष के अलावा, यह उचित होगा कि उसी भूमि के संबंध में, 'गीसा आदि बनाम मनोहर लाल आदि' नामक एक सिविल मुकदमा दायर किया गया था, जिसे 27.06.1972 को भौतिक तथ्यों को छिपाकर डिक्री करवाई गई थी। 'उन्होंने कहा कि पट्टी टेक चंद में शमिल के मालिकों/बिस्वेदारों द्वारा 'टेक चंद सिंह आदि बनाम गीसा राम आदि' शीर्षक से सिविल मुकदमा दायर करके एक प्रतिनिधि क्षमता में डिक्री को चुनौती दी गई थी और दिनांक 27.06.1972 की उक्त डिक्री को दिनांक 03.12.1974 की डिक्री के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। दिनांक 03-12-1974 की डिक्री को माननीय उच्च न्यायालय तक अंतिम रूप दिया गया। एक बार पहले की डिक्री हो जाने के बाद, उसी भूमि के संबंध में कार्रवाई के एक ही कारण पर कोई नया मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता था।

(12) ऐसी परिस्थितियों में, यह आवश्यक है कि नीचे के दोनों न्यायालयों को आवेदन की अनुमति देनी चाहिए थी और सीमाओं के आधार पर इसे खारिज नहीं करना चाहिए था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राहगमल और अन्य बनाम कुंवर लाल और अन्य (आई) मामले में स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि विलंब की क्षमा के लिए पृथक आवेदन की आवश्यकता नहीं है जब एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन में उल्लिखित विलंब की क्षमा के लिए आवेदन के सभी अवयवों का उल्लेख किया गया है।

(13) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि सीपीसी के ऑर्ड एर 1 नियम 8 का विशेष रूप से उप-नियम (2) और (5) का पूर्ण गैर-अनुपालन है। इस प्रकार, एकपक्षीय निर्णय और डिक्री सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। तदनुसार मैं यह मानता हूं कि आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2002 (अनुबंध पी-2) और दिनांक 06.03.2006 (अनुबंध पी-3) स्पष्ट रूप से अवैध, विकृत, कानून के प्रावधानों के खिलाफ हैं और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं हैं। इसलिए, दिनांक 01.03.2002 (अनुबंध पी-2) और दिनांक 06.03.2006 (अनुबंध पी-3) के आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाता है। नतीजतन, 1991 के सिविल सूट नंबर 170 में पारित दिनांक 09.05.1994 के निर्णय और डिक्री, जिसका शीर्षक 'चंद्रभान आदि बनाम पट्टी टेक चंद और अन्य में शाम 1 का बिश्वेदरन' था, को भी अलग रखा जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा 09.05.1994 के एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को रद्द करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दी जाती है और दिनांक 1 2.06.1991 के आदेश, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ पूर्व पक्षीय कार्यवाही की गई थी, को अलग रखा जाता है, 'ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह 1991 के सिविल सूट नंबर 170 में सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 (5) के तहत प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़े और याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय के समक्ष अनुमति दे, जो लिखित बयान दर्ज करने के लिए उक्त मुकदमे में प्रतिवादी होते हैं। पक्षकारों ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 01102013 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया।

(14) उपरोक्त शर्तों में तत्काल पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है।

जे.एस. मेहंदीरत्ता

(1) 2010 (4) सिविल न्यायालय मामले 120 (एससी)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

सोनीपत, हरियाणा